कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 223 दिनांकः– 21.2.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 3105 दिनांक 27.07.2017**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2975 दिनांक 02.11.2017 तथा 1566 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसांगिक विभागीय पत्र द्वारा की गई पृच्छाओं के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पृच्छाऐं</th><th>अनुपालन</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>प्रस्ताव के पार्ट–I की कंडिका–B 2.4 में Component wise break up के कॉलम में तथा कंडिका–M-1 (C) में खनन पट्टा के अंदर अवस्थित वनभूमि के रकवा में सुधार करने की आवश्यकता होगी।</td><td>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने सूचित किया है कि इस पृच्छा के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक सुधार कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसमें Form A Part I की कंडिका B 2.4 Component wise break-up निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th></th><th>पूर्व प्रेषित</th><th>वर्त्तमान में समेकित</th></tr>
<tr><td>माईनिंग क्षेत्र</td><td>12.34 हे0</td><td>12.14 हे0</td></tr>
<tr><td>प्रस्तावित पहुँच पथ</td><td>0.23 हे0</td><td>0.23 हे0</td></tr>
<tr><td>सेफ्टीजोन</td><td>1.60 हे0</td><td>1.80 हे0</td></tr>
<tr><td>कुल :–</td><td>14.17 हे0</td><td>14.17 हे0</td></tr>
</table>
संशोधित प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न है। इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख जो स्वतः स्पष्ट है भी पत्र के साथ संलग्न समर्पित है।

Form A Part I की कंडिका M- 1 (C) में Letter of intent जिला खनन कार्यालय द्वारा प्रेषित ज्ञापांक 13 दिनांक 04.01.2016 की प्रति लगाई गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस letter of intent जिला खनन पदाधिकारी द्वारा कुल 35 एकड़ वनभूमि खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन के निराकरण हेतु व्यक्तिगत अभिलेख की जाँच की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण ने समर्पित किया है कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 14.17 हे0 अथवा 35 एकड़ में खनन कार्य तथा खनन कार्य के auxiliary कार्य यथा पहुँच पथ निर्माण का कार्य किया जाएगा। अतः Letter of Intent में संशोधन की आवशकता नहीं है।</td></tr>
</table>

(ख)	वन संरक्षक, हजारीबाग प्रादेशिक अंचल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के उत्तर में अवस्थित Water body के लिए सेप्टीजोन 15 मीटर करते हुए component wise break up में सुधार आवश्यक होगा।	इस पृच्छा के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित करमा स्टोन माईनिंग क्षेत्र के पूर्वी बाउण्ड्री पर Water body अवस्थित है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने सूचित किया है कि इसका सत्यापन समर्पित DGPS Survey Report से वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी द्वारा किया गया एवं सही पाया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित वनभूमि के पूर्वी भाग पर अवस्थित Water body के बगल में 15 मीटर का सेफ्टीजोन क्षेत्र प्रस्तावित है तथा Water body को छोड़ कर शेष भाग के लिए 7.5 मी0 चौड़ा सेफ्टीजोन प्रस्तवित है। component wise break up में तदनुसार सुधार किया गया है जिसके तहत माईनिंग क्षेत्र 12.34 हे0 से घट कर 12.14 हे0 हो गया है तथा सेफ्टीजोन क्षेत्र 1.60 हे0 से बढ कर 1.80 हे0 हो गया है। इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव यथा माईनिंग प्लान, सेफ्टीजोन प्लान एवं Form A Part-I में आवश्यक सुधार कर समर्पित किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा सेफ्टीजोन को दर्शाते हुए प्रस्तावित खनन क्षेत्र का नक्शा समर्पित किया गया है, जिसकी प्रति भी संलग्न की जा रही है।
(ग)	क्या यह site specific project है ?	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने सूचित किया है कि इस पृच्छा के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत सूचित किया गया है :– 1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के आवेदन से पूर्व अन्य तीन गैर वन भूमि क्षेत्र में अवस्थित नावाडीह, पीपराडीह एवं बरवाडीह Stone deposit का भू वैज्ञानिक सर्वे किया गया तथा करमा मौजा अन्तर्गत करमा Stone deposit को भू–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम कोटि का पाया गया एवं तदनुरूप वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए आवेदन किया गया। 2. करमा प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का चयन इस लिए किया गया क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र के अगल–बगल non-mineralized zone एवं Water body अवस्थित है, साथ ही दक्षिणी भू–भाग पर वनरोपण कार्य किया गया है जो कोडरमा वन प्रमंडल अन्तर्गत कांटी मौजा है। 3. करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु तैयार माईनिंग प्लान Deputy Director of Geology, Department of Mines Geology & Industry, Palamu, Jharkhand के पत्रांक 147 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अनुमोदित है। 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र के आस–पास रैयती भूमि पर खनन पट्टा जिला खनन पदाधिकारी , हजारीबाग द्वारा दिया गया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि आवेदित क्षेत्र स्थल विशिष्ट है।

निराकरण प्रतिवेदन भेजने हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:—यथोक्त।

निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ।

विश्वासभाजन,

21.2.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ~~सह~~—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

20.2.19